कार्यालय जनपद न्यायाधीश, आजमगढ़।

प्रशासनिक आदेश सं० 108 /2020

नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के फैलने के आसन्न खतरे का सामना करने के लिये सभी बचाव तथा उपचारात्मक उपायों को करने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 की अधिसूचना संख्या 548/पांच-5-2020 दिनांकित 14.03.2020 तथा इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिसूचना दिनांकित 13.03.2020 एवं पत्र संख्या पी.एस.(आर.जी.)/25/2020 दिनांकित 15.03.2020 के सन्दर्भ में निम्नलिखित अधिकारीगण की एक समिति का गठन किया गया हैः-

1. प्रथम अपर जनपद न्यायाधीश, आजमगढ़ - अध्यक्ष
2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आजमगढ़ - सदस्य
3. मुख्य चिकित्साधिकारी, आजमगढ़ द्वारा नामित एक वरिष्ठ चिकित्सक - सदस्य

इस सम्बन्ध में ~~आप~~ उक्त समिति से भी अपेक्षा की जाती है कि कोरोना वायरस (COVID-19) को फैलने से रोकने तथा इसके संक्रमण से बचाव के लिए सभी आवश्यक उपाय करने का कष्ट करें तथा इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित आख्या(Action taken report) दिन प्रतिदिन प्रेषित कराना सुनिश्चित करें, जिसमें तदनुसार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रतिदिन आख्या प्रेषित की जा सके।

आदेश की प्रति तथा उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त अधिसूचना दिनांकित 14.03.2020 तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की अधिसूचना दिनांकित 13.03.2020 व पत्र दिनांकित 15.03.2020 की छायाप्रतियां सभी सम्बन्धित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

दिनांकः 16.03.2020

16-3-2020

(प्रमोद कुमार शर्मा)

जनपद न्यायाधीश,

आजमगढ़।

प्राप्ति ... By ... 20-3-20

Recd By ... 20/3/20

Scanned by CamScanner